



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20102020-222567
CG-DL-E-20102020-222567

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444]
No. 444]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 19, 2020/आश्विन 27, 1942
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2020/ASVINA 27, 1942

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2020

(सनदी लेखाकार)

फा. सं. 1-सीए(7)/193/2020.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 का आगे और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप संशोधनों को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना फा.सं. 1-सीए(7)/193/2020, तारीख 4 मई, 2020 द्वारा ऐसे व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त प्रारूप विनियमों को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जानी थी, पैंतालिस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेपों और सुझावों को आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 4 मई, 2020 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर संस्थान की परिषद् द्वारा विचार किया गया है ;

अतः, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1)) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद्, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) विनियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) में, विनियम 25ड के उपविनियम (1) में,—
(क) “उच्चतर माध्यमिक (10+2) की परीक्षा में बैठा है” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;
(ख) “स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजन हेतु” शब्दों का लोप किया जाएगा।
3. उक्त विनियमों के विनियम 25च के उपविनियम (1) में,—
(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—
“क) क्रमशः मई/जून या नवंबर/दिसंबर मासों में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए 1 जनवरी या 1 जुलाई को या उससे पूर्व संस्थान के अध्ययन बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत है ; और उसने ऐसी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा विनिश्चित की जाएं ; और”
(ii) खंड (ख) में, “परीक्षा उत्तीर्ण की है” शब्दों के स्थान पर, “परीक्षा में बैठा है” शब्द रखे जाएंगे।
4. उक्त विनियमों के विनियम 28च में,—
(i) उपविनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—
“(3) किसी भी अभ्यर्थी को तब तक मध्यवर्ती पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने इन विनियमों के अधीन फाउंडेशन परीक्षा और भारत में विधि द्वारा गठित किसी परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित की जाने वाली उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा या केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजन हेतु उसके समतुल्य के रूप में मान्यताप्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो और साथ ही ऐसी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन न कर दिया हो, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाएं।”।

राकेश सहगल, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./306/2020-21]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 1 जून, 1988 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/134/88, तारीख 1 जून, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे :—

- (i) भारत के राजपत्र, तारीख 7 अक्टूबर, 1989 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/1/89 द्वारा प्रकाशित ;
- (ii) भारत के राजपत्र, तारीख 19 जनवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/10/90 द्वारा प्रकाशित ;
- (iii) भारत के राजपत्र, तारीख 19 जनवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/11/90 द्वारा प्रकाशित ;
- (iv) भारत के राजपत्र, तारीख 23 फरवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/12/91 द्वारा प्रकाशित ;
- (v) भारत के राजपत्र, तारीख 2 फरवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/13/90 द्वारा प्रकाशित ;
- (vi) भारत के राजपत्र, तारीख 7 मार्च, 1992 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/19/92 द्वारा प्रकाशित ;
- (vii) भारत के राजपत्र, तारीख 1 सितंबर, 1995 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/28/95 द्वारा प्रकाशित ;
- (viii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 13 मार्च, 1996 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/30/95 द्वारा प्रकाशित ;
- (ix) भारत के राजपत्र, तारीख 16 अगस्त, 1997 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/31/97 द्वारा प्रकाशित ;

- (x) भारत के राजपत्र, तारीख 26 फरवरी, 2000 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/44/99 द्वारा प्रकाशित ;
- (xi) भारत के राजपत्र, तारीख 26 फरवरी, 2000 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/45/99 द्वारा प्रकाशित ;
- (xii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 17 अगस्त, 2001 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/51/2000 द्वारा प्रकाशित ;
- (xiii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 28 सितंबर, 2001 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/59/2001 द्वारा प्रकाशित ;
- (xiv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 31 मार्च, 2003 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/64/2002 द्वारा प्रकाशित ;
- (xv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 4 दिसंबर, 2003 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/64ए/2003 द्वारा प्रकाशित ;
- (xvi) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 28 जुलाई, 2005 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/83/2005 द्वारा प्रकाशित ;
- (xvii) भारत के राजपत्र, तारीख 17 जून, 2006 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/84/2005 द्वारा प्रकाशित ;
- (xviii) भारत के राजपत्र, तारीख 13 सितंबर, 2006 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/92/2006 द्वारा प्रकाशित ;
- (xix) भारत के राजपत्र, तारीख 17 अगस्त, 2007 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/102/2007(अ) द्वारा प्रकाशित ;
- (xx) भारत के राजपत्र, तारीख 25 सितंबर, 2008 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/116/2008 द्वारा प्रकाशित ;
- (xxi) भारत के राजपत्र, तारीख 3 दिसंबर, 2008 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/123/2008 द्वारा प्रकाशित ;
- (xxii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 1 अगस्त, 2012 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/145/2012 द्वारा प्रकाशित ;
- (xxiii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 22 जुलाई, 2014 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/154/2014 द्वारा प्रकाशित ;
- (xxiv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 23 जनवरी, 2015 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/167/2014 द्वारा प्रकाशित ;
- (xxv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 25 मई, 2017 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/178/2016 द्वारा प्रकाशित ।

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2020

(Chartered Accountants)

No. 1-CA(7)/193/2020.-- Whereas certain draft regulations further to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, were published by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, as required by sub-section (3) of section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) in the Gazette of India Extraordinary, Part III Section 4, vide notification F.No.1-CA(7)/193/2020 dated the 4th May 2020, inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before the expiry of forty-five days from the date on which the Gazette containing the said draft regulations was made available to the public;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 4th May 2020;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft regulations have been considered by the Council of the Institute;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the aforesaid Act, the Council, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Chartered Accountants Regulations, 1988 (hereinafter referred to as the said regulations), in sub-regulation (1) of regulation 25E,-
 - (i) for the words, brackets and figures, “appeared in the Senior Secondary (10+2)”, the words and figures “passed the Class 10th” shall be substituted;
 - (ii) the words “for the purpose of admission to graduation course” shall be omitted.
3. In sub-regulation (1) of regulation 25F of the said regulations,-
 - (i) for clause (a), following clause shall be substituted, namely:-

“(a) is registered with the Board of Studies of the Institute on or before the 1st day of January or the 1st day of July for the examination to be held in the months of May/June or November/December respectively; and has complied with such other requirements as may be decided by the Council from time to time; and”;
 - (ii) in clause (b), for the word “passed”, the words “appeared in” shall be substituted.
4. In regulation 28F of the said regulations,-
 - (i) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(3) No candidate shall be registered for the Intermediate Course unless he has passed the Foundation Examination under these regulations and Senior Secondary (10+2) examination conducted by an examining body constituted by law in India or an examination recognised by the Central Government or the State Government as equivalent thereto for the purpose of admission to graduation course and has complied with such other requirements as may be decided by the Council from time to time.”.

RAKESH SEHGAL, Acting Secy.

[ADVT-III/4/Exty./306/2020-21]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 1st June, 1988 vide number 1-CA(7)/134/88, dated the 1st June, 1988 and subsequently amended by the following numbers:-

- (i) Notification No.1-CA(7)/1/89, published in the Gazette of India, dated the 7th October, 1989;
- (ii) Notification No.1-CA(7)/10/90, published in the Gazette of India, dated the 19th January, 1991;
- (iii) Notification No.1-CA(7)/11/90, published in the Gazette of India, dated the 19th January, 1991;
- (iv) Notification No.1-CA(7)/12/91, published in the Gazette of India, dated the 23rd February, 1991;
- (v) Notification No.1-CA(7)/13/90, published in the Gazette of India, dated the 2nd February, 1991;
- (vi) Notification No.1-CA(7)/19/92, published in the Gazette of India, dated the 7th March, 1992;
- (vii) Notification No.1-CA(7)/28/95, published in the Gazette of India dated the 1st September, 1995;
- (viii) Notification No.1-CA(7)/30/95, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 13th March, 1996;
- (ix) Notification No. 1-CA(7)/31/97, published in the Gazette of India, dated the 16th August, 1997;
- (x) Notification No. 1-CA(7)/44/99, published in the Gazette of India dated the 26th February, 2000;
- (xi) Notification No.1-CA(7)/45/99, published in the Gazette of India, dated the 26th February, 2000;
- (xii) Notification No.1-CA(7)/51/2000, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 17th August, 2001;
- (xiii) Notification No.1-CA(7)/59/2001, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 28th September, 2001;
- (xiv) Notification No.1-CA(7)/64/2002, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 31st March, 2003;

- (xv) Notification No.1-CA(7)/64A/2003, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 4th December, 2003;
- (xvi) Notification No.1-CA(7)/83/2005, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 28th July, 2005;
- (xvii) Notification No.1-CA(7)/84/2005, published in the Gazette of India, dated the 17th June, 2006;
- (xviii) Notification No. 1-CA(7)/92/2006, published in the Gazette of India, dated the 13th September, 2006;
- (xix) Notification No. 1-CA(7)/102/2007(E), published in the Gazette of India, dated the 17th August, 2007;
- (xx) Notification No.1-CA(7)/116/2008, published in the Gazette of India, dated the 25th September, 2008;
- (xxi) Notification No.1-CA(7)/123/2008, published in the Gazette of India, dated the 3rd December, 2008;
- (xxii) Notification No. 1-CA(7)/145/2012, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 1st August, 2012;
- (xxiii) Notification No. 1-CA(7)/154/2014, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 22nd July, 2014;
- (xxiv) Notification No. 1-CA(7)/167/2014, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 23rd January, 2015;
- (xxv) Notification No.1-CA(7)/178/2016, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 25th May, 2017.